न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 874 / 2023

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र लालचन्द जाति जांगिड़ साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र पेमाराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
2. चतरसिंह बैनिवाल पुत्र आशाराम बैनिवाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. दुली पत्नी फुसा जाति नाई साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. बृजलाल पुत्र राजीराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
5. योगेशवर्मा पुत्र नोरंगलालवर्मा जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 चुरू तहसील चुरू।
6. रतनलाल पुत्र भुराराम जाति रेगर साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. रामप्रताप पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/10/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 96 / 85 की कुल 1.0820 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 96 / 85 की कुल 1.0820 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगाान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वादी की खरीद की हुई भूमि पर वादी काबिज है अतः मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 96/85 की कुल 1.0820 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 96/85 की कुल 1.0820 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि का राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 व राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक 10456 दिनांक 05.10.2020 के निर्देशों की पालना में पक्षकारान के जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से अनुसार मय रास्ता व खाला दर्शाते हुए अच्छी मंदी भूमि के हिसाब से उपभपक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव मय रगंदार नक्शा तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। मौका कमिश्नर की फीस 1500/— रूपयें तय की जाती है, जो वादी अदा करेंगा। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 874 / 2023

अनवान : –

1. शंकरलाल पुत्र लालचन्द जाति जांगिड़ साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र पेमाराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
2. चतरसिंह बैनिवाल पुत्र आशाराम बैनिवाल जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. दुली पत्नी फुसा जाति नाई साकिन चक देईदासपुरा तहसील नोहर।
4. बृजलाल पुत्र राजीराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
5. योगेशवर्मा पुत्र नोरंगलालवर्मा जाति मेघवाल साकिन वार्ड न0 चुरू तहसील चुरू।
6. रतनलाल पुत्र भुराराम जाति रेगर साकिन नोहर तहसील नोहर।
7. रामप्रताप पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 874 सन 2023 निर्णय दिनांक 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता स0 96 / 85 की कुल 1.0820 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 शंकरलाल पुत्र लालचन्द जाति जांगिड़ सा0 फेफाना खातेदार– ग्राम चक देईदासपुरा तहसील नोहर के ख0न0 76 / 2 की 0.08360 कुल किता 1 योग–0.08360 हैक्ट

2 ओम प्रकाश पुत्र पेमाराम हि0 1 / 2 जाति जाट सा0 दुर्जाना खातेदार, बृजलाल पुत्र राजीराम हि0 1 / 2 जाति जाट सा0 दुर्जाना खातेदार– ग्राम चकदेईदासपुरा तहसील नोहर के ख0न0 76 / 2 की 0.1278 हैक्ट कुल किता 1 कुल योग 0.1278 हैक्ट

3 चतरसिंह बैनिवाल पुत्र आशाराम बैनिवाल जाति जाट सा0 झांसल तहसील भादरा खातेदार–ग्राम चक देईदासपुरा तहसील नोहर के ख0न0 76 / 2 की 0.0418 हैक्ट कुल किता 1 कुल योग 0.0418 हैक्ट

4 दुली पत्नी फुसा हि0 133 / 8288 जाति नाई सा0 देह खातेदार, योगेशवर्मा पुत्र नोरंगलालवर्मा हि0 1 / 8288 जाति मेघवाल सा0 वार्ड 1 चुरू खातेदार, रतनलाल पुत्र भूराराम हि0 5046 / 8288 जाति रेगर सा0 नोहर खातेदार, रामप्रताप पुत्र भादरराम हि0 2599 / 8288 जाति जाट सा0 नोहर खातेदार, रामा नन्द पुत्र माला राम हि0 509 / 8288 जाति खाती मकान संख्या 0 कॉलोनी–0, क्षेत्र / स्थान–नोहर, पि0न0 335523 जिला हनु0 राज0 खातेदार– ग्राम चक देईदासपुरा तहसील नोहर के ख0न0 76 / 2 की 0.8288 कुल किता 1 कुल योग 0.8288 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर